हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ
प्रार्थीगण की ओर से श्री ओ०पी० बतरा Adv. द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी वकील को सुना गया। प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया प्राथमिक दृष्टि से सन्तुष्ट होकर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे की विवाद ग्रस्त भूमि चक 26 LNP के खाता सं० 12/8 मु०नं० 46, 47 की 1.687 है० एवं चक 27 LNP के खाता सं० 23/21 मु०नं० 19 की 1.012 है०, कुल 2.699 है० भूमि में से वादी के हिस्सा तक की भूमि खारिज। —	39-45
आगामी पेशी तक रिकॉर्ड ~~यथा~~ —x— की यथास्थिति बनाई रखी जावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होकर दिनांक 21/1/19 को पेश हो। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जावे, जिसके लिए वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड लिफाफे प्रस्तुत करें। तथा नोटिस रजिस्टर्ड करवाने की रसीद दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करें। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर	
16-1-19 वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया वकील प्रार्थी द्वारा Note-Book का अवलोकन करने पर दिनांक 7-1-19 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त कर प्रार्थना पत्र 212/R.T.A को खारिज किया जाता है। पत्रावली बस्ते से कम कर बाद तकमील मूल वाद संख्या 5/2019 के साथ संलग्न हो (सौरभ स्वामी) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर	17/1